न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः—114/2022 (GCMS No. 2022/119) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मल्लू पुत्र श्री हटीला जाति माली निवासी ग्राम नदी भद्रावती तहसील व जिला करौली (राज.)

.....अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार करौली जिला करौली (राज.)

.....रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली (सवाई माधोपुर) दिनांक 18.11.1996 मुकदमा नम्बर 141/96 उनवान सरकार बनाम मल्लू माली।

उपस्थितिः—

1. अपीलांट की ओर से श्री धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी, वकील।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक।

नि र्ण य **दिनांक : 21.02.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 18.11.1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पो./आवेदक तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के हक में खसरा नम्बर 688/804 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम बिचपुरी के आवंटन दिनांक 22.11.1992 को चुनौती देते हुये अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 18.11.1996 को निर्णय पारित कर आवंटन को खारिज कर दिया गया और भूमि को कब्जेराज ली जाकर पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.1996 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांट को जैर अपील आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। तत्समय उसके अधिवक्ता ने यह कह दिया कि जबाब पेश कर दिया है तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। वकील द्वारा कोई सूचना निर्णय बावत नहीं दी गई तथा अपीलांट निरन्तर आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पो. व अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की। दिनांक 18.08.2022 को रेस्पो. के अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी आदि मौके पर आये और प्रार्थी अपीलांट को कहा कि उक्त विवादित आराजी से बेदखल किया जावेगा। अपीलांट द्वारा सर्वप्रथम जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय से नकल निकलवायी जो दिनांक 26.08.2022 को प्राप्त होने पर जानकारी से बिना देरी अपील पेश की गई है वह परिस्थितिवश है। क्षमा किये जाने योग्य है। अतः अपील में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील मियाद शुमार किया जावे। इसके अलावा कथन किया कि रेस्पो./आवेदक तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के हक में खसरा नम्बर 688/804 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम बिचपुरी के आवंटन दिनांक 22.11.1992 को चुनौती देते हुये अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 18.11.1996 को निर्णय पारित कर आवंटन को खारिज कर दिया गया और भूमि को कब्जेराज ली जाकर पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। आवंटन के संबंध में रेस्पो. को अनियमित मानते हुये निगरानी दायर करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था क्योंकि रेस्पो. आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य रहा है और आवंटन की सिफारिश की गई है। रेस्पो. एक्ट की धारा 115 के तहत एस्टोप्ड है तथा सिफारिश करने वाला व्यक्ति नियम 14(4) के तहत भी आवेदन करने से एस्टोप्ड है। नियम 13 में वेग और जनरल औवजरवेशन प्रक्रिया पालन नहीं करने के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। रेस्पो. द्वारा वेग व जनरल तथ्य दर्ज किये हैं तथा कानूनन एडजोर्न के मीटिंग के दिन के लिए सलाहकार समिति के सदस्य को प्रेस नोटिस देने का नियम 13 में कोई प्रावधान नहीं है। मैयर लैक्यूना आवंटन फार्म आवेदन में होने से आवंटन प्रेस और रिप्रेजेन्टेशन नहीं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

माना जा सकता है और इस बिना पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटन केवल तकनीकी और अनियमित इसेपल्टी के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। मीटिंग दूसरे गांव के स्थान पर किये जाने से भी आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। हस्ताक्षरों में भिन्नता है। भूमि रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है तो सिवायचक भूमि ही माना जावेगा। आवेदनकर्ता कोई हस्तलेख विशेषज्ञ नहीं है। नियम 8(3) के तहत भी निराधार तथ्य हैं। रेस्पो. का आवंटन आदेश की अवहेलना करने संबंधी कोई कथन नहीं रहा है। आवंटी का कब्जा, खातेदारी इन्द्राजात नामांतरकरण किये जाने पर आराजी को काबिज काश्त बनाकर काश्त की जाती रही है। रेस्पो. ने आवंटन के साथ आदेश दिनांक 08.02.1995 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर प्रस्तुत नहीं किया जहां कलक्टर स्वयं सोमोटिव कार्यवाही नियम 14(4) के तहत करने का अधिकार हो वहां किसी अन्य को कार्यवाही करने के लिये निर्देशित करने का अधिकार नहीं था। जिससे स्पष्ट है कि आवेदन के पीछे दुर्भावना व राजनैतिक कारण व दबाब रहे हैं। अपील हमारे ही आवंटन पर हुई है जबकि अन्य आवंटन को बरकरार रखा है। आवंटन प्रक्रिया पूर्णतः वैध थी। हमारा लगातार कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.1996 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय पैरोकार ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत ढंग से ही अपील मंजूर की थी। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने वकील अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार आवंटन समिति का सदस्य होता है लेकिन वह किसी भी पूर्व में अनियमित कार्य के विरूद्ध कार्यवाही से एस्टोप्पड नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा कार्यवाही जिला कलक्टर करौली द्वारा उक्त आवंटन को अनियमित होने से ही इसको निरस्त कराने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिये गये थे। इसके अलावा आवंटन गैर मुमकिन पहाड की भूमि का किया गया था जो बिना किस्म परिवर्तन के नहीं हो सकता था जिससे यह आवंटन अनियमित है। तहसीलदार करौली द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) में वर्णित कारणों से किया गया आवंटन पूर्णतया अनियमित है तथा प्रतिबंधित भूमि का किया जो प्रारम्भतः ही शून्य है क्योंकि बिना किस्म परिवर्तन के किया गया यह आवंटन विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। इस प्रकार वकील अपीलांट के कथनों से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन पूर्ण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जॉच उपरान्त खारिज किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 18.11.1996 यथावत जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर